

**All India Council for Technical Education**  
 (A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)  
 Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)



**APPROVAL PROCESS 2021-22**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-9318111874/2021/EoA

Date: 25-Jun-2021

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
 Govt. of Uttar Pradesh,  
 Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
 12A, Navin Bhawan,  
 U.P. Lucknow-226001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2021-22**

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2021 Notified on 4th February, 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	14046493	Application Id	1-9318111874
Name of the Institution /University	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institution /University Address	PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201301
Institution /University Type	Private-Self Financing	Region	Northern

**To conduct following Programs / Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2021-22**

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2020-21	Intake Approved for 2021-22	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI Approval Status
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	240	240	NA	NA

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2021-22 (Appendix 6)**

### Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2021-22 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ University status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfill the norms based on the Affidavit submitted to AICTE within the Academic Year 2021-22
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Prof. Rajive Kumar  
Member Secretary, AICTE

Copy.\*\* to:

1. The Director of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
2. The Registrar\*\*,  
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,  
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY  
Plot No 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida,  
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,  
Uttar Pradesh, 201310
4. The Secretary / Chairman,  
C - 116,  
SECTOR - 39, NOIDA  
NOIDA, GAUTHAM BUDDHA NAGAR  
Uttar Pradesh, 201301
5. The Regional Officer,  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>.

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

This is a computer generated Statement. No signature Required



卷之六

गिरोहाल / प्रापाद्य-

निदेशक / प्राचार्य, INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, Knowledge Park-II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

प्राचीन विद्यालय का 2021-22 वार्षिक असंबद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

इति श्रीहिंदू सत्र 2021-22 वर्षीय अस्थानीय संस्करण (Provisional Affiliation) | AICTE | COA/PCI | Affiliation Int. Approved

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	240	240	0	240

उपरोक्त अवधारी सम्बद्धता विनियित शर्तों के अधीन है:-

द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके रपорт्र प्रत्यापन में कोई मुद्रा, कहा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक जारी हो तो संख्यान को प्रदर्शन अवश्यकी शम्भवता रखते नियम सभी पार्षदी नियमानुसार उपलब्ध अवधारणा का होगा।

3. कठिपय संख्याओं में प्रदेश क्षमता में अग्रिम/पार्श्व पाठ्यक्रम प्राप्ति करने की स्थिरता प्रदेश क्षमता के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संख्याओं का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवश्यकता एवं यात्रा संख्यान प्रत्यापिते स्थिरताओं पर स्थलीय नियमिति प्राप्ति करने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जाता है तथा नियम तल की अनुशंसा फैला गए हैं ताकि 2021-22 में प्रदेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेंगी।
4. सब प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संख्या की विदेशी/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की विधि से रीन-गाह या अन्दर रिक्त पद पर यात्रा की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ती जाय नियमी रूपाना विश्वविद्यालय को आवश्यक कराये। (विनियम: 6.16)
5. सब 2021-22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संख्यान विश्वविद्यालय को कार्यरत विकासों के संबंध में भी यात्री गृही में उन्नियति किसी भी विधक को सब के दौरान विना विश्वविद्यालय की विधित अनुमति यो सेवा से नियमाला नहीं जा सकेंगा।
6. सब प्रारम्भ होने के पश्चात संख्या में कार्यरत शिक्षाओं द्वारा कार्यक्रम छोड़ने की विधि में 15 दिन (कार्य विकास) के अन्दर विश्वविद्यालय को आवश्यक सूचित करें। (विनियम: 6.16)
7. शीक्षिक एवं रिक्षणीतर स्टाफ के खेत्र का आवश्यक नियमित ज्ञान यो नियम जायेगा, अन्यथा की विधि में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही जायेगी। (विनियम: 6.25वी.)
8. संैदृ एवं उससे उपयोगिता की सम्बूधि विवरण संख्या के रूपाना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना यो भी विश्वविद्यालय को अपगत कराये। (विनियम: 6.13)
9. संैदृ एवं समस्त सूचनाएं संख्या के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अपगत कराये। (विनियम: 6.16)
10. संैदृ एवं रिक्षणीतर स्टाफ के खेत्र का आवश्यक नियमित ज्ञान यो नियम जायेगा, अन्यथा की विधि में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही जायेगी। (विनियम: 6.25वी.)
11. संैदृ एवं उससे उपयोगिता की सम्बूधि विवरण संख्या के रूपाना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना यो भी विश्वविद्यालय को अवश्यक सूचित करें। (विनियम: 6.13)
12. संैदृ एवं उससे उपयोगिता की सम्बूधि विवरण संख्या के रूपाना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना यो भी विश्वविद्यालय को अवश्यक सूचित करें। (विनियम: 6.16)
13. संैदृ एवं उससे उपयोगिता की सम्बूधि विवरण संख्या के रूपाना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवश्यक सूचित करें। (विनियम: 6.16)
14. संख्यान की समस्त सूचनाएं संख्या के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अपगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संख्यान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क यो सूचना संख्या के सूचना पट पर संख्या के सूचना पट पर अवश्यक प्रस्ता की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी अन्यथा संख्या के विकल्प विधित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अधिकार भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या नियरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुचोदन स्वतः नियरस्त हो जायेगा।
17. पार्वती तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के विकास प्रविधिकान से सम्बद्ध संख्याओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियानक संगवन कार्यसी कार्डसिल आप इण्डिया (व्यापार लागू) से सब 2021-22 हेतु मान्यता का अनुमति प्रदेश, प्रदेश हेतु आद्यत की जाने जाती राज्य प्रवेश परीक्षा की कार्यसिलिंग पर सूर्य विश्वविद्यालय को अनियार्य रूप से उपलब्ध कराना होता। मान्यता अवैश अप्राप्य रहने की दशा में संख्याओं को प्रदर्शत अस्थाई सम्बद्धता रखता। नियरस्त समझी जायेगी। संख्यान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में कार्यसी तथा वास्तुकाला के समस्त पाठ्यक्रमों में संख्यान सब 2021-22 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो कार्डसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रमाणकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिविधियों के लिए संख्यान स्वयं उत्करदायी होगा।
18. संख्यान का शैक्षिक सब के अन्तर्गत किसी भी समय और विधक नियमित विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औपक नियोक्ता के नियानित मानकों के सापेक्ष क्रियाओं के दृष्टिकोण सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संख्यानों की अपाराहित एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बद्ध में शासन अध्यक्ष विश्वविद्यालय स्तर से कोई नियमित अध्यक्ष जाती है अध्यक्ष कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संख्यानों की सम्बद्धता, तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संख्यान द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संख्याओं में प्रवेश (अनुशूलित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछडे गए यों के लिए आप क्षम) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा नियानित प्रदेश मानकों, एवं अनुशूलित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार नियानित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार या शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के अध्यवस्थाओं का अनुपालन न करने वी क्रियात्, सम्बद्धता तथाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
21. विभिन्न संघर्षों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिशुर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा राज्य-समय पर नियंत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संख्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संख्यान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस विधि में उनकी सम्बद्धता तथाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
22. संख्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संख्यान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से यही शुल्क लिया जाए जो शुल्क नियानित समिति द्वारा नियानित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार या शुल्क/दोनों से यो की शिक्षायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संख्या की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संख्या को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या च०प्र०प्रा०य०/कुस० का०/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 की अनुपालन की अनियार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संख्यान के विकासों एवं शिक्षानीतर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों या पालन नियानित करवाना, संख्यान का दायित्व होगा। संख्यान का यह दायित्व होगा कि यह शिक्षक अध्यक्ष शिक्षानीतर कर्मचारियों को सत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कठिपय कारणोंयश यदि ऐसा सामय न हो तो संख्यान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुनोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विभिन्न शैक्षिक सब में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अहं शिक्षकों एवं

पंजीकृत छात्रों के न्यूनतम् परीक्षा परिणाम के फारम प्रतिपथ संख्याओं की स्थीकृत प्रदेश क्षमता का एक निम्निकृत प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2021-22 हेतु नियमित रहा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णजीवित करने का संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा रामीक्षा की जायेगी।

26. पाद्यफल प्रियोप में सम्बद्धता की लिमिट क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के रूपमें 5 या 6 (यथा सार) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।
27. शास्त्र/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी नियंत्रणों पर अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में मिथ्यलन अथवा संख्या के औरधक नियीक्षण में किसी प्रकार की कठियां पायी जाने की विभिन्न में संख्या की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्ता रामबी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरवाचिक स्थाय संख्यान/प्रबन्धसंकेत का होगा।

  
(दूर्दल सिंह)  
गुरुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या ए दिनांक: उपरोक्त  
प्रतिलिपि निम्नलिखित यो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयितः—  
1. अपर चुदाय नियम, नाम कलाशियति/भी राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।  
2. रायिय, प्रायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।  
3. अध्यक्ष, अधिक्ष भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।  
4. नियंत्रक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।  
5. गार्ड काइल।

# All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



## APPROVAL PROCESS 2020-21

### Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7013704383/2020(EoA)

Date: 30-Apr-2020

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
12A, Navin Bhawan,  
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4<sup>th</sup> February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-4048493	Application Id	1-7013704383
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institute Address	PLOT NO 6 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, 201301
Institute Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	NA	No
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

### **Important Instructions**

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfill all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfill the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.
3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. Rajive Kumar  
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
2. The Registrar\*\*,  
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,  
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY  
Plot No 8 & 9 , Knowledge Park-II , Greater Noida,  
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,  
Uttar Pradesh, 201310
4. The Secretary / Chairman,  
C - 116,  
SECTOR - 39, NOIDA  
NOIDA, GAUTHAM BUDDHA NAGAR  
201301
5. The Regional Officer,  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.



पत्रांक-४०पी०टी०प०/कुश०का०/उ०प्र०/२०२०/६०९०-६७१२

दिनांक: २५ जनवरी, २०२०

College Code 162

रेपा. गे.

निदेशन/प्राचार्य,

MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

Plot No. 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

विषय: शीक्षण सत्र 2020-21 की अध्यार्थी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) की सम्भवा है।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सुनित करने का निदेश पुरा है कि अधिकारी भारतीय शक्तिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ गोपनीय पर, नई दिल्ली (यथा लाग) को हारा सत्र 2020-21 हेतु आपके संस्थान जो विद्यालय की गार्ही बाब्दाम एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शाहन की सम्बद्धता समिति हारा विद्यारोपणत की नई संस्थानों एवं इन संस्थानों को प्राप्त भै इसलन को अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन वारा जारीपरिषद ले अनुमोदन की प्रत्यापत्रा में संस्थान की नियुक्ति विषय के अनुसार स्वप्रित्त प्रधित योजना के अन्तर्गत शीक्षण सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय हारा अस्थाई सम्बद्धता की उम्मीद प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	180	240	0	240

उपरोक्त अस्थाई सम्बद्धता नियुक्ति शर्तों के अधीन है:-

1. संस्थान हारा अधिकारी भारतीय शक्तिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डॉ ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय हारा नियुक्ति न्यूम, न्यूम, अध्यक्षालय सुनिता पार्वतीपरान्त हेतु नियुक्ति पठन-पाठन/पाठ्यपर्याप्ति, प्रयोगशाला हेतु नियुक्ति उपकरण, फार्मसी अनुमोदन, इनिंग नियोजक तथा विश्वविद्यालय के नियोजक मण्डल हारा संस्था के नियोजक मण्डल में दरार्थी नई कार्यों/मानकों को पूर्ण कराना अनियार्थ होगा, अस्थाई की विषयते में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः नियरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकार्त्र का होगा।
2. नियोजक मण्डल हारा अवश्यकता सुनिताओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आकिट भी विश्वविद्यालय हारा किसी भी समय किया जा सकता है।
3. वी.फार्म./एम.फार्म./वी.आर्ट./एम.आर्ट./पाठ्यक्रम संचालित करने पाले संस्थानों को फार्मसी काउन्सिल आफ इन्डिया/काउन्सिल आफ आकिटे पर (यथा लाग) को हारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु नियुक्ति गानकों को पूर्ण एवं संवित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनियार्थ होगा। संस्थान हारा नियुक्ति गानकों को पूर्ण त करने की दशा में एवं आगारात्मिय एवं वी.सी.आर्ट./वी.ओ.ए. (यथा लाग) के हारा अनुमोदन प्रदेश क्षमता वी.आगिक प्रवेश सेवा एवं एक दशा ने विश्वविद्यालय हारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः नियरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकार्त्र का होगा।
4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डॉ ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० हारा प्रवेश/शुल्क ये राष्ट्रव्याप में समय-समय पर जारी किये गये दिवा-नियोजकों का अनुमोदन, सुनियुक्ति पारेना तथा शुल्क नियारित लाभिति हारा नियमानुसार अनुमोद्य जीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय हारा नियुक्ति गान्ना उन्हें शामल से उपलब्ध करायेगा। संस्थान हारा उपर्युक्त अंगठाओं में विकल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने की उपरान्त यदि संस्था हारा आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता अंगठी शुल्क न जाना करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः नियरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-८ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था हारा नियारित किया जाएगा अस्थाई की विषयते में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान १० दिसंबर, २०२० के पूर्ण नियारित संख्याओं हारा तो अनुमोदन प्रवेश क्षमता के राष्ट्रव्याप क्षमता के मानकों के अनुसार अधिकारी अंगठी धारक शिक्षक एवं नियोजक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा उनके तो सम्बन्धित समस्त अधिलेश्य विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नीटराईज्ड शापथ पत्र देना होगा कि उनके हारा नियमानुसार अधिकारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय हारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि

कूट रचना / प्रसारण पाया जाता है तो संरक्षण को प्रदत्त अवश्यकी समझता स्पष्टः निरस्त शम्ही जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वयष्ठ संरक्षण का होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समग्रता का जायगा।

26. वात्याक्षम विशेष में सम्बद्धता की लमित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की सातिक के संध 5 या 6 (यथा तार्ग) को पठा कर प्राप्त की जा सकती है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोपिड-19 गहानारी के दृष्टिगत जारी नियंत्रणों का अनुपालन तुलितिगत लिए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 फ़िटेम्बर, 2020 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन जब्ता संस्था के अधिकारी निरीक्षण में किसी प्रकार की लमिता पायी जाने की विधि में संतुष्टा की जरूरताई सम्बद्धता रखता: निररना समझी जायेगी, जिसका यापूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धालय का होगा।

  
(नन्द लाल सिंह)  
नन्दलालसिंह

दृष्टिगत संलग्न य दिनांक: उपरोक्त

- दृष्टिगति निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं जावश्यक कार्रवाही हेतु प्रयित:-  
1. अपर मुख्य सचिव, पा० कुलाधिपति/सी राज्यपाल उत्तर प्रदेश, सामग्र्य संघनक।  
2. अपर मुख्य सचिव, प्राधिकारिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, संघनक।  
3. अध्यक्ष, अधिकारी आरतीय तायानीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।  
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, संघनक।  
5. गार्ड पाइल।

# All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)



## APPROVAL PROCESS 2019-20

### Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-4260554944/2019/EoA

Date: 10-Apr-2019

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
12A, Navin Bhawan,  
U.P. Lucknow-226001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2019-20**

**Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2019-20**

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2018 notified by the Council vide notification number F.No AB/AICTE/REG/2018 dated 31/12/2018 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-4048493	Application Id:	1-4260554944
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institute Address	PLOT NO 8 & 9, KNOWLEDGE PARK-II, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201301
Institute Type	Unaided - Private	Region:	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site/Location	No	Change of Site/Location Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA
Opted for Merger of Institution	No	Merger of Institution Approved or Not	NA
Opted for Introduction of New Program/Level	No	Introduction of Program/Level Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2019-20

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Uni/Body)	Intake Approved for 2019-20	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf Quota/ OCI Approval Status
Management	1st	Post Graduate	Masters In Business Administration	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA
Management	2nd	Post Graduate	Masters In Business	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar	120	NA	NA

Application No:1-4260554944

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By : aa1730317

Page 1 of 2

Letter Printed On: 18 April 2019

+FT - Full Time, PT - Part Time

Administration

Pradhan, Lucknow

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

**Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:** - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 0(4) of the said Regulation.

It is mandatory to comply all the essential requirements as given in API 2019-20(appendix 6)

**NOTE:** If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutes and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2019-20 without affecting the percentage reservations of SC/ST/OBC/General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Prof. A.P Mittal  
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
2. The Registrar\*\*,  
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,  
Mangalmay Institute Of Management & Technology  
Plot No 8 & 9 , Knowledge Park-II , Greater Noida,  
Greater Noida,Gautam Buddha Nagar,  
Uttar Pradesh,201310
4. The Secretary / Chairman,  
Mangalmay Foundation Trust  
C - 116,  
Sector - 39, Noida,  
Noida,Gautam Buddha Nagar,  
Uttar Pradesh,201301
5. The Regional Officer,  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

ਨਾਨਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ  
ਪੀਠੀਸੀਅਤਾ  
ਫੁਲਾਸਚਿਤ



डॉ ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०  
सैटर-११, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-२२६०३१

प्राचीन-एवं शिल्पीयू० / पुस्तकालय / राजधानी / 2019 / 1004 / 152

दिनांक: 15 नव. 2019

College Code 152

सेवा में निदेशक / प्राप्तार्थी

Institute of Management And Technology, Gautam Buddha Nagar

Part II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

Digitized by srujanika@gmail.com

काम्पस दरार की स्थीरता विवरण को जाता है।		Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Course Name	Branch Name					
MBA	MBA	Shift I	180	180		180
MBA	MBA	Shift II	120	60		60

प्रपरोग अवधारी समझा निलिखित रातों के अधीन है—


- संस्थान द्वारा अधिकारी भारतीय लकड़ीवी शिक्षा परिषद, गई दिल्ली/काठौ ईर्पियोडो अख्युल कलात्म प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा नियांरित है। नियांरित पठन-पाठ्य/माद्रप्रयाप्त, पर्यावरणशास्त्र हैं। नियांरित लेखकरण, कॉलान्टी अनुपाल, मृपि, बनक, अपरस्थानका तुविधाई पाठ्यक्रम हैं। नियांरित पठन-पाठ्य/माद्रप्रयाप्त, पर्यावरणशास्त्र हैं। नियांरित लेखकरण, कॉलान्टी अनुपाल, इंगिज नियांरित तथा विश्वविद्यालय की नियांरित काठौ संस्था के नियांरित में दर्शनीय गई कामों/महानकों को पूर्ण कराना अनियांरित होगा, अन्यथा की विधि में संस्था को प्रदत्त अस्थाई संस्कृता बनाना नियांरित समझी जायेगी, विश्वका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धांत्र का होगा।
  - नियांरित काठौ द्वारा अपरस्थाना चुविधाओं एवं संघीयोजित शिक्षकों के संस्थान के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संख्या की विधि किया जा सकता है।
  - की.जार्न./एच.फार्न./की.आर्फ./एच.आर्फ. पाठ्यक्रम संस्थानित करने याले संस्थानों की कार्यसिल अक इन्डिया/कार्यसिल अफ आर्किटेक्चर (देश लाग) के द्वारा बादपक्षम संपादन हैं। नियांरित नानकों की पूर्ति एवं संविहार कार्डिनल से साच विशेष हैं। अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनियांरित होगा। संस्थान द्वारा नियांरित नानकों को पूर्ण न करने की विधा में एवं अनुसारित एवं की.जी.ए.प. (देश लाग) के द्वारा अनुमन्य प्रयोग की जाना से अधिक प्रयोग सेवन की विधा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई संस्कृता स्वयं नियांरित समझी जायेगी, विश्वका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्कृत/प्रबन्धांत्र का होगा।
  - संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/बांधपूर्णीयोडो अख्युल कलात्म प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तरप्रदेश प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में सांच-समय पर जारी किए गए विश्व-नियांरित का अनुमानानुसार सुनिश्चित करेंगा तथा शुल्क नियांरित विभाग द्वारा नियांरित अनुगम्य छोटी ही प्रयोगिता छात्रों से लेगा। ज्ञान ही, संस्थान विश्व-प्रविधिक संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा वालिंग सूचना उन्हें सामग्री से उत्तराका करतेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अस्थाईों में विषयक रहने पर संस्कृता सम्बन्धी विद्योवासिकान को कम करने अथवा सामान्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
  - संस्था की सम्बन्धिता प्राप्त ही जाने के उपरान्त उद्दि संस्था द्वारा भारतीयन आवेदन के साथ भारी गंभी तुलनाओं/विवरण स्वयं सम्बद्धता, संवेदी शुल्क ग जाना करने साथ जीर्णी की संख्या भी लेखा में विद्यी भी एकाकी की युटि शासन/विश्वविद्यालय के संचार में आती है। तो संस्था की प्रदत्त अस्थाई संस्कृता स्वयं नियांरित समझी जायेगी विश्वका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्कृत का होगा।
  - विश्वविद्यालय में प्रवित्ति उत्तरप्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के वृद्धम विनियोग 2010 के अध्याय-६ (सम्बन्धित) में उत्तरदायित्व प्राविधिकों का वालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की विधि में सम्बन्धित समाज करने की कार्यवाही की जायेगी।
  - संस्कृत 10 जून, 2010 के पूर्व विद्यालय संस्थाओं द्वारा उद्दि संस्कृत प्रदेश क्षेत्रों में संस्कृत विद्यालय संस्था के मानकों दो अनुसन्ध अवैधित रोकथा ने, विद्यालय अट्टीता द्वारा विद्यालय एवं विद्यालय/प्राचार्य भी नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। ज्ञान ही, इन विद्यालयों की तुली तथा विद्यालय से सम्बन्धित तमस्त अनियोग विश्वविद्यालय की उत्तुता किया जायेगा एवं इस प्राचार्य का बोर्डराईज्ड शब्द प्रव देना होगा कि उनको द्वारा नियांरित अवैधित संस्कृत में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा इनको उपलब्ध संस्थान में गोई नुस्त, स्कूलप्रधान/

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਫ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

प्रश्नाविदालय द्वारा सर्वीक्षा की जाएगी।

26. चावलबाज़ मिशेल में सम्बद्धता की लग्नित कामता की गणना सम्बद्धता प्रिवेट की तालिका के रूपमें 6 या 6 (स्थान लाग) में सम्भा 7 के मूल्य को छोड़ा कर द्वारा की जा सकती है।

उपर्युक्त संकाय की अनुमति अनुमति की गणना सम्बद्धता प्रिवेट की लग्नित की गणना सम्बद्धता प्रिवेट की तालिका के रूपमें 6 या 6 (स्थान लाग) में सम्भा 7 के मूल्य प्रत्याव॑र्त्त सम्बद्धता स्थान: निरस्त समझी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रूपरूप संरक्षण/प्रबन्धांत्र का होगा।



(चंद लाल सिंह)  
कुलसंघिय

पुष्टांगन संख्या ५ दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि विनाविधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गपर तुलसीधिय, गढ़ कुलसंघिय/क्षी राज्यमाल उत्तर प्रदेश, राजभवन सरानक।
2. संधिक, प्राधिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अधिकारी भारतीय तथानीकी विकास विभाग, नई दिल्ली।
4. निदेशक, सचाव काल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गाँई काइल।

**All India Council for Technical Education**  
 (A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)  
 Nelson Mandala Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)



**APPROVAL PROCESS 2018-19**

**Extension of Approval (EoA)**

Date: 04-Apr-2018

F.No. Northern/1-3511925174/2018/EOA

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
 Govt. of Uttar Pradesh,  
 Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
 12A, Navin Bhawan,  
 U.P. Lucknow-226001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2018-19**

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2018-19

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approval for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and amended on December 5, 2017 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	14048493	Application Id	1-3511925174
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institute Address	PLOT NO 8 & 9, KNOWLEDGE PARK-II, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201301
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site	No	Change of Site Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion from Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2018-19

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (University)	Intake Approved for 2018-19	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI Approval Status	Foreign Collaboration Twining Program Approval Status*
MANAGEMENT	1st	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA	NA
MANAGEMENT	2nd	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA	NA

+FT -Full Time, PT-Part Time

Application No:1-3511925174

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.  
 Printed By : ee1736317

Page 1 of 2

Letter Printed On:24 April 2018

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

**Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:** - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2000 dated July 1, 2000 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. A.P. Mittal  
Member Secretary, AICTE

**Copy to:**

1. The Regional Officer,  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
2. The Director Of Technical Education\*\*,  
Uttar Pradesh
3. The Registrar\*\*,  
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. The Principal / Director,  
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY  
PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA,  
GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,  
Uttar Pradesh,201310.
5. The Secretary / Chairman,  
MANGALMAY FOUNDATION TRUST  
C - 116,  
SECTOR - 39, NOIDA,  
NOIDA,GAUTHAM BUDDHA NAGAR,  
Uttar Pradesh,201301
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

ओम प्रकाश राय  
आईएमटीएस  
फुलसेविय



पत्रांक:-ए०५००१०५००/गुरुगंगा०/राम०५०/२०१८/१०१३०/(१५२)

## डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय च०४०

सेक्टर-११, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-२२८०३१

दिनांक: १५.०५.२०१८

College Code 152

रेखा मे,  
निदेशक/प्राचार्य,

Mangal May Institute of Management And Technology, Gautam Buddha Nagar  
Plot No. 9, Knowledge Park-II, Greater Noida

पियः शिविक रात्र २०१८-१९ की अवधारी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के बाबत मे।  
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे यह सुनिश्चित करने का निर्देश हुआ है कि अंगिल भारतीय लक्षणीयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के हाता सत्र २०१८-१९ हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/२०२० शासन की मान्यता समिति द्वारा विश्वविद्यालय की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के प्रम मे निर्णीत शासनादेश संघ्रा २०१२/सोल-१-२०१८-१९(१)/२०१८ दिनांक १५.०५.२०१८ की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय मे प्रवक्षित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की घात २३(२) के अधीन नं० ३० लाइसेंसिय से अनुमोदन, एवं प्राविक रात्र २०१८-१९ की अवधारी सम्बद्धता के लाभ सम्बद्धता के साथ,

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Approved Intake	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
MBA	MBA	Shift I	180	180	0	180
MBA	MBA	Shift II	120	120	0	120

व्यवित्त प्रावित योजना के अन्तर्गत संक्षिक सत्र २०१८-१९ हेतु विश्वविद्यालय के हाता अस्थाई सम्बद्धता की लाहर्य रवैश्वर्ति प्रदान की जाती है।  
उपरोक्त अवधारी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

१. संस्थान हाता अंगिल भारतीय लक्षणीयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय हाता निर्णीत भूमि, भवन, अवस्थापना तुष्टियाएं पावक्षण एवं नियोजित छठन-पाठन/प्रारूपवक्ता, प्रयोगशाला हेतु निर्णीत चालकम, एवं उन्हीं अनुमति, दिनांक नियोजित सत्रा विश्वविद्यालय के नियोजित वर्ष-कार्यवारी/नानकों को पूर्ण कराना जायेगा एवं उन्हीं अन्यता की नियोजित मे संस्थान को प्रदान अस्थाई सम्बद्धता रक्तः निरस्त राजकी जायेगी, जिसके अनुरूप उत्तरदायित रक्तः संस्थान/प्रबन्धदात्र का होगा।
२. नियोजित बच्चन हाता अस्थाई सम्बद्धता एवं शावायोजित शिक्षकों के उत्तरदायित रक्तः संस्थान के साथ-साथ संस्थान के लाभ का लाइसेंस वी विश्वविद्यालय हाता किसी भी समय नियोजित रक्तः संस्थान है।
३. बी.फार्म/एन.फार्म./भी.आर्क./एन.आर्क. पाठ्यग्रन्थ संचालित करने वाले संस्थानों को कार्यकारी कार्यालय आक इन्हें एवं कार्यालय आक आर्किटेक्चर के हाता पाठ्यग्रन्थ संचालन हेतु नियोजित राजकी की पूर्वि एवं चंचलित कार्यालय वी उत्तरदायित रक्तः लाभुमेन एवं आन्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान हाता नियोजित राजकी को पूर्वि न करने की दस्ता ने एवं लाभुमेन एवं वी.सी.एस./सी.बी.ए. (स्का लाभु) के हाता अनुमत्य प्रवेश दानता वी अधिक प्रवेश संस्थान के दस्ता ने विश्वविद्यालय के हाता संस्थान को प्रदान अस्थाई सम्बद्धता रक्तः निरस्त राजकी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित रक्तः संस्थान/प्रबन्धदात्र का होगा।
४. संस्थान प्राविधिक विकास विकास उत्तरदायित रक्तः नियोजित राजकी अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय च०४० हाता प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध मे समय-समय पर जारी किये गये विद्या-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्वाचन संस्थित हाता नियोजित राजकी अनुमत्य को लाभुमेन एवं प्रवेशित राजकी से लाभुमेन। साथ ही, संस्थान विकास-प्रविधिक विश्वविद्यालय हाता वहिंच सूचना लाभुमेन संस्थान के उत्तरदायित रक्तः कराना। संस्थान हाता उपर्युक्त अपेक्षालों ने विकल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धीय विशेषज्ञान को करने अथवा समाचर करने की कार्यवाही की जायेगी।
५. संस्थान लो सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उत्तरान्त यदि संस्थान हाता अनलाइन लाभेदान के उत्तरान्त नहीं मध्ये शुल्कलो/विवरण स्थान सम्बद्धता संस्थानी शुल्क न जाने करने सहा लोटो की संस्थान मे किसी भी प्रकार की त्रुटि जास्तन/विश्वविद्यालय के उत्तरान्त मे आती है सो संस्थान की प्रदान अस्थाई सम्बद्धता रक्तः निरस्त सम्भाली जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित रक्तः संस्थान का होगा।
६. विश्वविद्यालय मे प्रवक्षित उ०४० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रवक्ष विनियम २०१० के सम्बन्ध-८ (सम्बद्धता) मे उत्तिलिखित प्राविधिकों का पालन संस्थान हाता सुनिश्चित किया जाएगा अस्थाई की विद्युति ने सम्बद्धता समाचर करने की कार्यवाही की जायेगी।
७. संस्थान ०१ अगस्त, २०१० के पूर्वि नियोजित संस्थानी संस्थानी हाता उत्तरदायित प्रवेश दानता के उत्तरान्त नियानक संस्थान की नानकों के अनुसन्धान अपेक्षित संस्थान ने, नियोजित अर्हता धारक विकास एवं निदेशक/प्राचार्यों को नियुक्ति पूर्वि कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची उत्तरदायित संस्थान ते संस्थानित इमास्त अपेक्षित विश्वविद्यालय को प्रस्तुति विद्या जायेगा एवं इस जायेगा का नोटराईज्ड उत्तरदायित संस्थान ते उत्तरदायित रक्तः संस्थान ने विद्युति कराने की त्रुटि, कुट्टरवन/वित्तंगती पायी जाती है तो संस्थान की प्रवक्षता अस्थाई सम्बद्धता संस्थान का होगा।
८. सत्र प्रारम्भ होने के उत्तरान्त यदि संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का पद रित होने के दिनांक दिव्यी ते दीन-नह के उत्तर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही घर्ष कर नियुक्त लो जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कार्यवाही। (विनियम ८.१५)
९. सत्र २०१८-१९ के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान हाता विश्वविद्यालय को कार्यस्त शिक्षकों के उत्तरान्त मे ती गयी/सूची मे उत्तिलिखित किसी भी विकास





## All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg/Vasant Kunj, New Delhi-11007

PHONE: 23724151/62/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 [www.aictedindia.org](http://www.aictedindia.org)

F.No. Northern/1-3324880175/2017/EA

Date: 30-Mar-2017

To:

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
12A, Navin Bhawan,  
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of approval for the academic year 2017-18

Reff: Application of the Institution for Extension of approval for the academic year 2017-18

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the **All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016** notified by the Council vide notification number F.No.AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and norms, standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-3324880175	Application Id	1-3324880175
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Institution Address	PLOT NO 8 & 9, KNOWLEDGE PARK-II, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310
Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST	Society/Trust Address	C - 195, SECTOR - 28, NOIDA/NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR/Uttar Pradesh, 201310
Institution Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for change, from Women to Co-ed and Vice versa	No	Opted for change of name	No	Opted for change of site	No
Change from Women to Co-ed approved and Vice versa	Not Applicable	Change of name Approved	Not Applicable	Change of site Approved	Not Applicable
Opted for Conversion from degree to diploma	No	Opted for Conversion from diploma to degree	No	Conversion (degree to diploma or vice-versa) Approved	Not Applicable

To conduct following courses with the intake indicated below for the academic year 2017-18

Application Id: 1-3324880175			Course	Eligibility	Affiliating Body	Intake Approved for 2016-17	Intake Approved for 2017-18	NRI Approved Intake	PIO / FN / Gulf quota Approval status	Foreign Colleagues/Overseas Program Approval status
Program	Shift	Level	Eligible Time							
MANAGEMENT	1st Shift	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University,	180	180	NA	NA	NA

Application Number: 1-3324880175

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By : AE1730317

Page 1 of 3  
Letter Printed On: 13 April 2017



## All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg/Vasant Kunj, New Delhi-110067

PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)

		TE			Uttar Pradesh, Lucknow					
MANAGEMENT	2nd Shift	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	120	NA	NA	NA

The above mentioned approval is subject to the condition that

MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY  
shall follow and adhere to the Regulations, guidelines and directions issued by AICTE from time to time and the undertaking / affidavit given by the institution along with the application submitted by the Institution on portal.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:- Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Note: Validity of the course details may be verified at [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org).

Prof. A.P Mittal  
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Regional Officer,  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
2. The Director Of Technical Education\*\*,  
Uttar Pradesh
3. The Registrar\*\*,  
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. The Principal / Director,  
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY  
PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA,  
GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,  
Uttar Pradesh,201310
5. The Secretary / Chairman,  
MANGALMAY FOUNDATION TRUST  
C - 116,

Application Number: 1-3324880175

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By : AE1736317

Page 2 of 3  
Letter Printed On:13 April 2017



पंत्रांक:— ए०पो०टी०म०० /कुस०का० /स०पि० /२०१७ /७००-१२९५  
दिनांक: १५ मई, २०१७

College Code 152

सेपा मे।

निदेशक/प्राचार्य,

Mangalmay Institute of Management And Technology, Gautam Buddh Nagar

Plot No. 9, Knowledge Park-II, Greater Noida

विषय: शैक्षिक सत्र 2017-18 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।  
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में युक्ते यह सूचित करने का निवेश हुआ है कि अधिकारी भारतीय लकड़ी की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2017-18 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के जापार पर विश्वविद्यालय रामदत्ता समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति हुआ विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के ब्लॉग में निरस्ता शासनादेश राज्य 1867/सौलह-१-२०१८-१३(५)/२०१५ दिनांक 12.05.2017 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रदर्शित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की घारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन, यी प्रदेश में, संस्थान को नियमानुसार पात्रताम प्रदेश क्षमता के साथ

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
MBA	MBA	Shift II	120		120
MBA	MBA	Shift I	180		180

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सार्वजनिक प्रदान की जाती है।  
उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता नियन्त्रित तरीके अधीन है—


1. संस्थान हुआ अधिकारी भारतीय लकड़ी की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जो० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय हुआ नियांत्रित भूमि, नयन, अवस्थापाना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु नियांत्रित वडन—पालन/पायावश्यक, प्रयोगशाला हेतु नियांत्रित उपकरण, फॉकलटी अनुपात, रैगिंग नियोगक संथान विश्वविद्यालय के नियोगक सम्बद्ध हुआ संस्थान के नियोग में वर्षायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की विधि में संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतांत्र का होगा।
2. नियोगक सम्बद्ध हुआ अवस्थापाना सुविधाओं एवं सायांगों जिसकां भी संस्थान के साथ—साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय हुआ किसी भी समय किया जा सकता है।
3. गी.फार्म/एम.फार्म/गी.आर्क/एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी कार्डिनल आफ इंडिया एवं कार्डिनल आफ अकाउंटेंट्स के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु नियांत्रित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित कार्डिनल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान हुआ नियांत्रित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अनाताशिप एवं गी.सी.आई./सी.आ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतांत्र का होगा।

4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जो० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० हुआ प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनियोगित करेगा तथा शुल्क नियांत्रण समिति हुआ नियमानुसार अनुमन्य कीस ही प्रयोगित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण—प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय हुआ विभिन्न सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान हुआ उपर्युक्त अपेक्षाओं में विकल रहने पर सम्बद्धा सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था हुआ आनलाइन आवेदन के समय भी यी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संघीय शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

6. विश्वविद्यालय ने प्रदर्शित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-६ (सम्बद्धता) के अन्तर्गत अस्थायी अन्यथा की विधि में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान 01 अगस्त, 2017 के पूर्व नियामक संस्थाओं हुआ उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेश नियामक संस्थानों की सूची होनी चाही तथा नियांत्रित अहीता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची होनी चाही तथा अन्यथा का नोटराइज़्ड शपथ पत्र देना होना कि नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय हुआ इनके रखतांत्र संस्थान में कोई त्रुटि, विवरण तथा विसंगति पायी जाती है तो संस्थान यों प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान रखना।



संग्रहीत

१. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि रांचा के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथी से तीन-माह तक अन्वर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त बन ली जाये जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कारबाही। (अध्यायः८.१५)

२. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में वार्षिक विकासों द्वारा रांचा की रिक्ति में १५ दिन (कलार्य विषय) के अन्वर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्यायः८.१६)

३. शैक्षिक एवं शिक्षणीतर रद्दाक के बेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की रिक्ति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्यायः८.२५वीं)

४. लैंब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण रांचा को सूचना पट, ऐवराइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएँ विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्यायः८.१३)

५. संस्था द्वारा छात्रों के लिये नये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा आपनी ऐवराइट पर उक्त रांचा को सूचना पट पर अवश्य चर्चा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें। अन्यथा रांचा को गिरजदूर गण्डोधित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

६. अधिकल भारतीय लकड़ीकी शिक्षा परिषद की मान्यता राखापा होने गा निरस्त पिये जाने गा ग्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन रद्द: निरस्त हो जायेगा।

७. फार्मेसी दस्ता आर्किटेक्चर की विधाओं के विकास प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समरस पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियमानुसार लंगठन फार्मेसी कार्डिनल आफ इन्डिया/आर्किटेक्चर कार्डिनल आफ इन्डिया (यथा लागू) से सत्र 2017-18 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र प्रदेश हेतु आहु यी जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की कार्डिनलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय की अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने वी दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रखता निरस्त समझी जायेगी। फार्मेसी दस्ता वास्तुकला के समरस पाठ्यक्रमों संस्थान सत्र 2017-18 में किसी भी नये छात्र को ग्रत्याहित पियोष में न तो कार्डिनलिंग और न ही अपने रद्द र सीधे रिक्त रीट या ग्रवन्चिलिंग रीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिवर्तियों के लिए संस्थान रवं उल्लंघनात्मक होगा।

८. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय अधिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त अधिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

९. जिन संस्थानों की अमालशिष्य एवं विश्वविद्यालय के मानकों के समन्वय में शासन अध्यक्ष विश्वविद्यालय रहर से कोई निरीक्षण अध्यक्ष जांच की जाती है अध्यक्ष कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तदकर्तव्याही के अधीन होगी।

१०. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनुज जनजातियों और अन्य पिछड़े गांवों के लिए आवश्य) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नामकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विभी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की रिक्ति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

११. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस रिक्ति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

१२. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अन्यवन्नत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/दोनों लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने वाली कार्यवाही की जायेगी।

१३. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिषत राख्या उम्प्रोग्रामी/कुस० का०/२०१४/४४१४-२१ दिनांक ११.०७.२०१४ के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

१४. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं प्राचीन वांछी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणीतर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का समिल होगा। संस्थान का यह उल्लिख होगा कि यह शैक्षक अध्यक्ष शिक्षणीतर कर्मचारियों को तालिका ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यपालक यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्यक होगा।

१५. विभाग शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पर्याप्त छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपर्याप्त छात्रों के न्यूनादर परीक्षा परिणाम के कारण कालिक्षण रांचानों की स्त्रीकृत प्रवेश क्षमता जन एक नियमित विवरण सम्बन्धित करने की सम्भवता द्वारा संभव होती है। आगामी सत्र 2018-19 हेतु राम्बद्धता जारी करने के पूर्व हमें पूर्णजीवित विवरण सम्बन्धित करने की सम्भवता द्वारा संभवता की जायेगी।

१६. पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्थाय ४ या ५ (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उच्चतम् शर्तों के अनुपालन में विभलन अथवा संख्या के औरका निरीक्षण में जिन्हीं प्रकार की छगियां पायी जाने की स्थिति में संख्या की

प्रयोग सम्बद्धता रूपतः निरस्त समझी जायेगी, जिसपाल राम्पूर्ण उत्तराधित रवर्ष संख्यान् प्रबन्धांश गत होगा।

(राफेरा धनी)  
गुलशनिय

प्राकृतिक संख्या य दिग्नांकः उपरोक्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूखनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेसितः—

- प्रमुख संधिय, माठ बुलाविष्टि / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजगढ़ लखनऊ।
- प्रमुख संधिय, प्राविधिक विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- आख्य, अधिकारी भारतीय लकड़ीकी शिल्प परिषद, गई दिल्ली।
- निवेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- गाड़ पाइल।

Validity unknown

Digitized by SANTOSH KARMA  
Digitization Person:  
State: Uttar Pradesh  
Postal Code: 233324 Country: IN  
Serial Number: 1234567890  
Date: 2023-09-25  
Reason: I am the author of this document.

Lambamayi Institute